अध्याय 10

राज्यों को सहायता अनुदान

10.1 विचारार्थ विषय (टीओआर) के पैरा 4(ii) में हमसे उन सिद्धांतों पर सिफारिशें प्रदान करने की अपेक्षा की गई थी जो भारत की समेकित निधि से राज्यों के राजस्वों के सहायता अनुदान तथा ऐसे राज्यों को की जाने वाली राशियों के भुगतान को शासित करे जिन्हें संविधान के अनुच्छेद 275 के तहत इसके खंड (1) के उपबंधों में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों से इतर उनके राजस्वों के सहायता अनुदान अनुदान के जरिए मदद की जरूरत है।

सहायता अनुदान को शासित करने वाले सिद्धांत

10.2 चूंकि भारत में अनुदान की व्यवस्था जारी है, इसलिए केन्द्र से राज्यों को अनुदान का प्रवाह तीन तरीके से होता है। पहली व्यवस्था में सहायता अनुदान वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत प्रदान किया जाता है। दूसरी श्रेणी में आयोजना अनुदान शामिल हैं जिसके अंतर्गत योजना आयोग द्वारा निर्णीत राज्य आयोजनाओं हेतु केन्द्रीय सहायता तथा केन्द्रीय मंत्रालयों द्वारा आयोजना स्कीमों के कार्यान्वयन हेतु आयोजना अनुदान प्रदान करना शामिल है। तीसरे प्रकार का अनुदान यद्यपि मात्रा में काफी कम है, लेकिन इसमें अनिवार्यतः केन्द्रीय मंत्रालयों द्वारा राज्यों को आयोजना भिन्न पक्ष पर विवेकाधीन अनुदान शामिल है।

10.3 वित्त आयोग के पास ऐसे राज्यों के संबंध में राजस्वों के सहायता अनुदान संबंधी सिद्धांतों तथा राशियों के बारे में सिफारिशें प्रदान करने का अधिदेश है जिन्हें संविधान के अनुच्छेद 275 के उपबंधों के अनुसार सहायता की जरूरत है। राज्यों द्वारा प्रदान की गई सेवाओं, औसत अथवा अन्य वांछनीय मानदंडों के संबंध में इन सेवाओं का मानदंड तथा इन आवश्यकताओं की स्वयं के राजस्वों द्वारा पूर्ति की सीमा के संबंध में आवश्यकताओं का मूल्यांकन अपेक्षित है। जैसाकि अध्याय 2 तथा 6 में बताया गया है, व्यय की आवश्यकताओं तथा राज्यों के अपने राजस्व का मूल्यांकन करने के लिए प्रामाणिक दृष्टिकोण अपनाने की जरूरत है। इन मूल्यांकनों को करते समय, एक मुद्दा यह है कि क्या राज्यों की उनके आयोजना लेखों के संबंध में आवश्यकताओं को भी ध्यान में रखा जाए, ऐसा इसलिए है क्योंकि आयोजना आवश्यकताएं वार्षिक आधार पर सर्वोत्कृष्ट निर्णायक होती हैं और राज्य अपनी आयोजनाओं को योजना आयोग से जिसे आयोजना अनुदानों का निर्धारण करने के लिए उत्तरदायी ठहराया गया है, परामर्श कर निर्धारित करते हैं।

10.4 जैसाकि अध्याय 4 में बताया गया है, हमने राज्य आजोनाओं हेतु केन्द्रीय सहायता को शासित करने वाले सिद्धांतों के संबंध में एक सिफारिश की है। वर्तमान में, सामान्य केन्द्रीय सहायता तथा अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता सामान्य श्रेणी वाले राज्यों को केन्द्र द्वारा 70 प्रतिशत ऋण के रूप में तथा 30 प्रतिशत अनुदान (विशेष श्रेणी वाले राज्यों के मामले में 10 प्रतिशत ऋण तथा 90 प्रतिशत अनुदान) के रूप में प्रदान की जाती हैं। इसका अभिप्राय यह है कि यदि कोई सामान्य श्रेणी वाला राज्य केन्द्र से 30 रुपए का अनुदान चाहता है तो उसे केन्द्र से ही 70 रुपए का उधार लेना आवश्यक है और साथ ही यह भी कि ब्याज दर अक्सर खुले बाजार दर से ऊंची होती है। यह भी सर्वज्ञात है कि मौजूदा आयोजना प्रक्रिया परम्परागत तौर पर आयोजना के आकार को सदैव अपेक्षाकृत बड़ा करने हेतु प्रोत्साहित करती है। इन सभी के परिणामस्वरूप राज्य, संरचनात्मक तौर पर अधिदेशित उधारों के कारण ऋण में धंसते चले जाते हैं। इसलिए वास्तव में यह सही है कि राज्यों को प्रदान किए जाने वाले आयोजना अनुदानों को केन्द्र से प्राप्त अनिवार्य ऋणों से क्यों न जोड़ा जाए। अनुदान के निर्धारण में किया जाने वाला विचार ऋण के संबंध में निर्धारण किए जाने की व्यवस्था से भिन्न होता है और इसे होना भी चाहिए। चूंकि आयोजना संबंधी लगभग संपूर्ण व्यय केन्द्र द्वारा उधार ली गई निधियों से पूरा किया जाता है, इसलिए आयोजना सहायता के रूप में केन्द्रीय ऋण अनावश्यक तौर पर केन्द्र का राजकोषीय घाटा (एकल आधार पर) बढ़ाते हैं। इन परिस्थितियों में, हमें सामान्य श्रेणी के राज्यों के संबंध में आयोजना सहायता प्रदान करने हेतु ऋण अनुदानों के बीच 70:30 के अनुपात (विशेष श्रेणी वाले राज्यों के मामले में 10:90) को अधिरोपित करने की प्रणाली को समाप्त कर देना चाहिए। इसके स्थान पर, योजना आयोग अपने को राज्यों को प्रदान किए जाने वाले आयोजना अनुदानों तक सीमित रखे और राज्यों पर यह निर्णय करने का अधिकार छोड़े कि वे कितनी मात्रा में अर्थात् केन्द्र से अथवा खुले बाजार से उधार लेना चाहते हैं। राज्यों को उधार देने की प्रक्रिया में केन्द्र की यह "अमध्यवर्ती" व्यवस्था अंततः केन्द्र से उधार देने की संरचनात्मक बाध्यता को हटाते हुए राज्यों के स्तर पर राजकोषीय अनुशासन का अपेक्षाकृत बेहतर सुनिश्चय करेगी। इससे वास्तव में केन्द्र को भी लाभ मिलेगा क्योंकि इससे केन्द्र का राजकोषीय घाटा भी घटेगा।

वित्त आयोग अनुदान

10.5 राज्यों के राजस्वों के सहायता अनुदान के संबंध में सिफारिश करते समय, राज्यों तथा इस क्षेत्र में कार्यरत विशेषज्ञों से प्राप्त सुझावों पर सावधानीपूर्वक विचार किया गया। राज्य सरकारों से बातचीत के दौरान यह ध्यान में आया कि वे सहायता अनुदान की अपेक्षा कर सुपुर्दगी के रूप में वित्त आयोग के अंतरणों का अपेक्षाकृत अधिक भाग आवंटित किए जाने के पक्ष में है। राज्यों का अनुभव है कि कर सुपुर्दगी हकदारी का मामला है, इसलिए अपने इस स्वरूप के कारण यह शर्त रहित है।

10.6 इसी कारण, अनुदानों के राजकोषीय अंतरण के साधन के रूप में कई अद्वितीय विशेषताएं हैं। पहला, इनका निर्धारण सापेक्ष रूप में किया जाता है और इसलिए राशि ज्ञात रहती है। दूसरा, इन्हें बेहतर तरीके से लक्षित किया जा सकता है। तीसरा, इन्हे निर्धारित करते समय लागत निर्योग्यताओं तथा पुनर्वितरण बातों जिनका कर

सुपुर्दगी फार्मूले में पर्याप्त रूप से ध्यान नहीं रखा गया है, को बेहतर तरीके से विचार में रखा जा सकता है। इन कारणों से, हमने समग्र वित्त आयोग अंतरणों में अनुदानों के संबंध में बेहतर भूमिका के निर्वहन की अनुमति प्रदान की है। जैसाकि बाद के अध्याय में किए गए विचार विमर्श से स्पष्ट होगा, हमारी सिफारिश में कर सुपुर्दगी के संबंध में अनुदानों का सापेक्ष हिस्सा पिछले आयोग की तुलना में बढ़ा दिया गया है। इसे सारणी 10.1 से देखा जा सकता है।

10.7 राज्यों की आवश्यकताओं के मूल्यांकन तथा विकास संबंधी चिन्ताओं के आधार पर अवार्ड अवधि 2005-10 के लिए राज्यों के राजस्वों के सहायता अनुदान की सिफारिश निम्नानुसार की गई है:

(i)	सुपुर्दगी-पश्च आयोजना भिन्न	56,856 करोड़ रुपए
(ii)	स्वास्थ्य क्षेत्र	5,887 करोड़ रुपए
(iii)	शिक्षा क्षेत्र	10,172 करोड़ रुपए
(iv)	सड़क तथा पुलों का रख-रखाव	15,000 करोड़ रुपए
(v)	भवनों का रख-रखाव	5,000 करोड़ रुपए
(vi)	वनों का रख-रखाव	1,000 करोड़ रुपए
(vii)	विरासत संरक्षण	625 करोड़ रुपए
(viii)	राज्य विनिर्दिष्ट आवश्यकताएं	7,100 करोड़ रुपए
(ix)	स्थानीय निकाय	25,000 करोड़ रुपए
(x)	आपदा राहत	16,000 करोड़ रुपए
	कुल वित्त आयोग अनुदान	1,42,640 करोड़ रुपए

पहले आठ मदों का इस अध्याय में उल्लेख है जबकि शेष दो को क्रमशः अध्याय 8 तथा 9 में पहले ही कवर किया जा चुका है।

सुपुर्दगी-पश्च आयोजना-भिन्न राजस्व घाटा

10.8 आयोजना-भिन्न राजस्व घाटे को शामिल करने हेतु सहायता अनुदान सामान्यतः वित्त आयोग के अनुदानों का सबसे बड़ा संघटक रहा है। इसका उद्देश्य उन राज्यों को अनुदान प्रदान करना रहा है जो प्रामाणिक आधार पर किसी भी वर्ष में सुपुर्दगी-पश्च आयोजना भिन्न राजस्व घाटे के रूप में अनुमानित है ताकि प्रामाणिक आधार पर मूल्यांकित घाटे की व्यवस्था की जा सके। यहां इस बात पर भी जोर देने की आवश्यकता है कि यह दृष्टिकोण पूर्णतः अंतर पूर्ण करने संबंधी दृष्टिकोण से भिन्न है। बाद के मामले में, घाटे का मूल्यांकन राज्यों की राजकोषीय प्रवृत्ति में बिना किसी सुधार के किया गया है। हमने जैसाकि पिछले आयोगों में किया है, एक प्रामाणिक दृष्टिकोण अपनाया है जो राजकोषीय क्षमता में कमी को सुधारने का सुनिश्चय करती है लेकिन अपर्याप्त राजस्व प्रयास अथवा अतिरिक्त व्यय को प्रोत्साहित नहीं करती।

10.9 प्रत्येक राज्य के संबंध में पूर्व-सुपुर्दगी आयोजना-भिन्न राजस्व अधिशेष/घाटे का मूल्यांकन अध्याय 6 में प्रामाणिक तौर पर किया गया है। सारणी 10.2 उस प्रक्रिया का परिणाम उपलब्ध कराती है।

10.10 जैसाकि सारणी 10.2 में दिखाया गया है, सभी विशेष श्रेणी वाले राज्यों को प्रामाणिक अनुमान के आधार पर सुपुर्दगी-पश्च परिदृश्य में अवार्ड अवधि के प्रत्येक पांच वर्षों में आयोजना भिन्न राजस्व घाटा रखना पड़ेगा। विशेष श्रेणी से भिन्न राज्यों के मामले में, गोवा, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक तथा महाराष्ट्र का मूल्यांकन किया गया है जो प्रत्येक पांच वर्षों में पूर्व-सुपुर्दगी अधिशेष रख रहे हैं। तमिलनाडु वर्ष 2006-07 से आगे अधिशेष रखेगा जबकि आन्ध्र प्रदेश का अंतिम वर्ष में अधिशेष रखना अनुमानित है।

10.11 अवार्ड अवधि के दौरान प्रत्येक राज्य का कर सुपुर्दगी में हिस्सा अध्याय 7 में आंका गया है। राज्यों की सुपुर्दगी-पश्च स्थिति को सारणी 10.3 में दिखाया गया है।

10.12 सारणी 10.3 से यह स्पष्ट होता है कि असम और सिक्किम को छोड़कर सभी विशेष श्रेणी वाले राज्यों से संपूर्ण अवार्ड अवधि के दौरान आयोजना-भिन्न राजस्व घाटे की पूर्व सुपुर्दगी का प्रामाणिक तौर पर निर्धारण करने की अपेक्षा की जाती है। असम ने दूसरे वर्ष से आगे राजस्व अधिशेष का मूल्यांकन कर लिया है तथा सिक्किम से अवार्ड अवधि के अंतिम वर्ष में राजस्व अधिशेष रखने की अपेक्षा है। केरल, उड़ीसा, पंजाब तथा पश्चिम बंगाल को छोड़कर गैर-

सारणी 10.1

वित्त आयोग द्वारा संस्तुत अंतरण

(करोड़ रुपए)

आयोग	अवधि	सहायता अनुदान		करों में हिस्सा		कुल राशि
		राशि	प्रतिशत हिस्सा	राशि	प्रतिशत हिस्सा	
सातवां	1979-84	1609.92	7.72	19233.05	92.28	**20842.97**
आठवां	1984-89	3769.43	9.55	35682.58	90.45	**39452.01**
नौवां*	1989-95	11030.38	9.96	99667.64	90.04	**110698.02**
दसवां	1995-00	20300.30	8.96	206343.00	91.04	**226643.30**
ग्यारहवां	2000-05	58587.39	13.47	376318.01	86.53	**434905.40**
बारहवां	2005-10	142639.60	18.87	613112.02	81.13	**755751.62**

*** नौवां वित्त आयोग में छह वर्ष शामिल हैं और इसके अलावा, 9000.83 करोड़ रुपए (ऊपर शामिल नहीं हैं) के आयोजना अनुदान की भी व्यवस्था की गई है।**

सारणी 10.2

पूर्व-सुपुर्दगी आयोजना-भिन्न राजस्व अधिशेष/घाटा (-)

(करोड़ रुपए)

राज्य	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	2005-10
1	2	3	4	5	6	7
आन्ध्र प्रदेश	-2252.29	-1171.68	-2815.30	-1407.41	287.30	**-7359.38**
अरुणाचल प्रदेश	-535.21	-564.47	-639.05	-671.81	-714.68	**-3125.22**
असम	-3263.86	-3356.94	-3730.26	-3794.54	-3838.37	**-17983.97**
बिहार	-8327.27	-8623.72	-9412.75	-9719.92	-10130.36	**-46214.02**
छत्तीसगढ़	-196.11	-60.14	-545.04	-380.84	-170.77	**-1352.90**
गोवा	70.76	196.17	306.34	502.52	746.19	**1821.98**
गुजरात	99.15	1447.25	1872.02	3945.18	6371.47	**13735.07**
हरियाणा	2172.96	2948.57	3385.95	4484.74	5791.17	**18783.39**
हिमाचल प्रदेश	-2641.47	-2653.65	-2748.04	-2712.79	-2649.65	**-13405.60**
जम्मू और कश्मीर	-3576.54	-3722.12	-4010.51	-4181.68	-4304.32	**-19795.17**
झारखंड	-531.12	-457.31	-1416.60	-1357.60	-1360.13	**-5122.76**
कर्नाटक	2612.70	4517.46	5194.17	7956.95	11267.78	**31549.06**
केरल	-2907.35	-2415.69	-3137.66	-2444.79	-1562.85	**-12468.34**
मध्य प्रदेश	-1979.58	-1463.29	-2008.59	-1336.55	-468.17	**-7256.18**
महाराष्ट्र	73.08	2604.01	4367.63	8009.66	12262.34	**27316.72**
मणिपुर	-1139.43	-1220.17	-1323.99	-1418.62	-1511.21	**-6613.42**
मेघालय	-715.93	-747.43	-838.93	-868.32	-902.86	**-4073.47**
मिजोरम	-755.73	-806.72	-892.27	-964.16	-1025.43	**-4444.31**
नागालैंड	-1234.13	-1312.98	-1440.34	-1531.46	-1631.26	**-7150.17**
उड़ीसा	-5207.47	-5272.97	-6117.81	-6190.06	-6300.37	**-29088.68**
पंजाब	-2744.68	-2282.59	-2213.66	-1506.75	-619.22	**-9366.90**
राजस्थान	-5098.50	-4666.61	-5046.73	-4396.04	-3461.81	**-22669.69**
सिक्किम	-274.39	-284.71	-325.56	-335.53	-360.02	**-1580.21**
तमिलनाडु	-785.96	539.66	1095.37	3229.94	5874.47	**9953.48**
त्रिपुरा	-1433.25	-1512.35	-1637.01	-1723.12	-1814.56	**-8120.29**
उत्तर प्रदेश	-12448.30	-11744.71	-12338.20	-11072.60	-9624.16	**-57227.97**
उत्तरांचल	-1971.60	-2047.40	-2243.08	-2289.28	-2325.54	**-10876.90**
पश्चिम बंगाल	-8892.12	-7993.98	-7309.07	-5679.90	-3626.73	**-33501.80**
कुल राज्य (घाटा)	**-68912.29**	**-64381.63**	**-72190.45**	**-65983.77**	**-58402.47**	**-329870.61**
कुल राज्य (अधिशेष)	**5028.65**	**12253.12**	**16221.48**	**28128.99**	**42600.72**	**104232.96**

विशेष श्रेणी वाले अधिकांश राज्यों में संपूर्ण अवार्ड अवधि के दौरान आयोजना-भिन्न राजस्व अधिशेष की सुपुर्दगी-पश्च की व्यवस्था है। केरल तथा उड़ीसा ने अवार्ड अवधि के केवल पहले वर्ष में घाटे का अनुमान लगाया है जबकि पश्चिम बंगाल में पहले दो वर्षों में और पंजाब में पहले तीन वर्षों में, अधिशेष की स्थिति से पूर्व, घाटे का अनुमान लगाया गया है। मूल्यांकित आयोजना-भिन्न राजस्व घाटे वाले राज्यों को शामिल करने के लिए, हम सारणी 10.4 में दर्शित सहायता अनुदान की वर्षवार सिफारिश करते हैं।

10.13 अवार्ड अवधि के पहले वर्ष के दौरान, पन्द्रह राज्यों के लिए 15091.86 करोड़ रुपए राशि का आयोजना भिन्न राजस्व घाटा अनुदान की सिफारिश की जाती है। अवार्ड अवधि के अंतिम वर्ष तक, केवल नौ राज्य 9528.14 करोड़ रुपए की आयोजना भिन्न राजस्व घाटा अनुदान प्राप्त करेंगे। समग्र तौर पर, हम अवार्ड अवधि के दौरान कुल 56855.87 करोड़ रुपए के आयोजना भिन्न राजस्व घाटे की सिफारिश करते हैं।

शिक्षा तथा स्वास्थ्य क्षेत्र

10.14 राज्यों के स्वयं के कर राजस्वों पर यथा लागू प्रामाणिक दृष्टिकोण में ऐसे राज्यों के मामले में सुधार किया गया था जहां कर-जीएसडीपी अनुपात समूह औसत की अपेक्षा कम था। यह समकारी दृष्टिकोण के अनुरूप है, यद्यपि यह कुछ सीमा तक ही है। व्यय पक्ष

सारणी 10.3

कर सुपुर्दगी पश्च आयोजना भिन्न राजस्व अधिशेष/घाटा (-)

(करोड़ रुपए)

राज्य	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	2005-10
1	2	3	4	5	6	7
आन्ध्र प्रदेश	4474.35	6529.51	6021.40	8754.77	11999.27	37779.30
अरुणाचल प्रदेश	-271.84	-262.94	-293.07	-273.92	-256.11	-1357.88
असम	-305.67	29.83	155.86	674.49	1312.21	1866.72
बिहार	1757.18	2921.76	3835.05	5515.02	7428.01	21457.02
छत्तीसगढ़	2230.82	2718.40	2643.18	3285.61	4054.85	14932.86
गोवा	307.58	467.30	617.45	860.28	1158.51	3411.12
गुजरात	3362.80	5183.73	6159.42	8875.68	12053.91	35635.54
हरियाणा	3155.98	4074.00	4677.32	5969.82	7502.73	25379.85
हिमाचल प्रदेश	-2164.12	-2107.14	-2120.96	-1991.64	-1818.52	-10202.38
जम्मू और कश्मीर	-2458.56	-2446.64	-2552.18	-2510.64	-2385.44	-12353.46
झारखंड	2542.31	3061.39	2620.92	3285.53	3991.11	15501.26
कर्नाटक	6690.21	9185.72	10550.74	14117.00	18367.27	58910.94
केरल	-470.37	374.36	63.77	1236.85	2680.26	3884.87
मध्य प्रदेश	4157.22	5562.61	6053.24	7934.53	10216.81	33924.41
महाराष्ट्र	4642.56	7835.51	10370.49	14912.94	20218.41	57979.91
मणिपुर	-808.39	-841.17	-889.10	-918.50	-934.82	-4391.98
मेघालय	-376.67	-359.02	-393.24	-355.78	-312.15	-1796.86
मिजोरम	-537.19	-556.52	-605.17	-634.00	-644.91	-2977.79
नागालैंड	-993.65	-1037.66	-1124.44	-1168.17	-1212.58	-5536.50
उड़ीसा	-488.04	130.22	82.05	939.76	1916.80	2580.79
पंजाब	-1556.83	-922.64	-653.20	287.78	1448.99	-1395.90
राजस्थान	30.61	1205.60	1691.32	3352.69	5468.65	11748.87
सिक्किम	-66.81	-47.06	-52.86	-21.94	1.40	-187.27
तमिलनाडु	4065.11	6093.55	7468.14	10558.61	14320.81	42506.22
त्रिपुरा	-1041.91	-1064.30	-1122.91	-1131.90	-1133.18	-5494.20
उत्तर प्रदेश	5167.48	8423.22	10803.39	15540.17	21047.22	60981.48
उत्तरांचल	-1112.91	-1064.30	-1115.02	-992.02	-830.43	-5114.68
पश्चिम बंगाल	-2438.90	-605.82	1168.44	4069.21	7609.18	9802.11
कुल राज्य (घाटा)	**-15091.86**	**-11315.21**	**-10922.15**	**-9998.51**	**-9528.14**	**-56855.87**
कुल राज्य (अधिशेष)	**42584.21**	**63796.71**	**74982.18**	**110170.74**	**152796.4**	**444330.24**

की ओर भी इसी प्रकार के दृष्टिकोण को अपनाने की जरूरत है। कई राज्यों का प्रति व्यक्ति व्यय राज्यों के संगत समूह के औसत प्रति व्यक्ति व्यय से काफी नीचे है। जहां समकारी दृष्टिकोण के पूर्ण उपयोग हेतु अपेक्षित अंतरण राशि अत्यधिक होगी, वहीं हमने दो महत्वपूर्ण कमी वाले क्षेत्रों अर्थात् शिक्षा तथा स्वास्थ्य पर ध्यान केन्द्रित किया है लेकिन संगत औसत समूह तथा विशेषकर निम्न राजकोषीय क्षमता तथा अधिक जनसंख्या वाले कुछ घटक राज्यों के वास्तविक प्रति व्यक्ति व्यय के मध्य व्यापक विषमता के कारण केवल आंशिक संशोधन ही किया जा सका। अनुदानों का अनुमान लगाते समय, उन राज्यों के संबंध में सावधानी बरती गई जो आयोजना तथा आयोजना भिन्न दोनों सहित कुल राजस्व व्यय के संबंध में अनुमान लगाए गए अनुसार शिक्षा तथा स्वास्थ्य पर समूह औसत के बराबर राशि आवंटित करने में सक्षम नहीं रहे। इस प्रयोजनार्थ कुल व्यय ब्याज भुगतानों, पेंशन तथा नीचे वर्णित कुछ अन्य समायोजनों को घटाने के बाद किया जाता है। इस विचार को आगामी विचार विमर्श में तरजीही सुधार के रूप में जाना जाता है।

10.15 यद्यपि आयोजना पक्ष में केन्द्र सरकार द्वारा राज्यों को पर्याप्त निधियां उपलब्ध कराई जाती हैं, फिर भी समस्या के आकार को देखते हुए और आवश्यकताओं की दृष्टि से निधियों की उपलब्धता अभी भी कम है। इन दो क्षेत्रों में बहुत सी आयोजना स्कीमों में,

सारणी 10.4

पूर्व-सुपुर्दगी आयोजना-भिन्न राजस्व अधिशेष/घाटा (2005-10)

(करोड़ रुपए)

राज्य	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	2005-10
1	2	3	4	5	6	7
अरुणाचल प्रदेश	271.84	262.94	293.07	273.92	256.11	1357.88
असम	305.67	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	305.67
हिमाचल प्रदेश	2164.12	2107.14	2120.96	1991.64	1818.52	10202.38
जम्मू और कश्मीर	2458.56	2446.64	2552.18	2510.64	2385.44	12353.46
केरल	470.37	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	470.37
मणिपुर	808.39	841.17	889.10	918.50	934.82	4391.98
मेघालय	376.67	359.02	393.24	355.78	312.15	1796.86
मिजोरम	537.19	556.52	605.17	634.00	644.91	2977.79
नागालैंड	993.65	1037.66	1124.44	1168.17	1212.58	5536.50
उड़ीसा	488.04	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	488.04
पंजाब	1556.83	922.64	653.20	शून्य	शून्य	3132.67
सिक्किम	66.81	47.06	52.86	21.94	शून्य	188.67
त्रिपुरा	1041.91	1064.30	1122.91	1131.90	1133.18	5494.20
उत्तरांचल	1112.91	1064.30	1115.02	992.02	830.43	5114.68
पश्चिम बंगाल	2438.90	605.82	शून्य	शून्य	शून्य	3044.72
जोड़ राज्य	**15091.86**	**11315.21**	**10922.15**	**9998.51**	**9528.14**	**56855.87**

राज्य सरकारों द्वारा प्रतिरूप निधियों की आवश्यकता पूरा करने की अक्षमता भी निधियों के पूर्ण उपयोग करने में एक बाधा बन जाती है। उदाहरण के लिए, सर्वशिक्षा अभियान की योजना के तहत राज्यों से उनके संसाधनों से 25 प्रतिशत से परिव्यय उपलब्ध कराने की अपेक्षा होती है ताकि पूर्ण रूप से केन्द्रीय अनुदान प्राप्त कर सकें। अधिकांश राज्य इस अपेक्षा को पूरा करने में असमर्थ रहे हैं। इसलिए यह महसूस किया गया कि हम इन दो क्षेत्रों हेतु उन राज्यों को विशेष सहायता अनुदान उपलब्ध कराएं जो राजकोषीय क्षमता में कमियों की वजह से इन क्षेत्रों में पर्याप्त व्यय करने में असमर्थ हैं।

10.16 इन दो क्षेत्रों के लिए अनुदान की मात्रा का अनुमान लगाते समय दो-स्तरीय प्रामाणिक दृष्टिकोण को अपनाया गया है। पहले दृष्टिकोण में, इन क्षेत्रों में राज्यों की कम मात्रा में व्यय तरजीहों में सुधार किया गया है। दूसरे शब्दों में, सभी राज्यों से यह अपेक्षा की गई है कि वे अपने कुल राजस्व व्यय (आयोजना तथा आयोजना भिन्न) का कतिपय न्यूनतम प्रतिशत प्रामाणिक तौर पर शिक्षा तथा स्वास्थ्य पर व्यय करें। दूसरे चरण में, उन राज्यों की पहचान करना शामिल है जो अपेक्षित प्रतिशत खर्च करने के बाद भी इन दो क्षेत्रों में प्रति व्यक्ति व्यय के प्रामाणिक स्तर से नीचे हैं।

10.17 इस प्रयोजनार्थ, वर्ष 2002-03 के संबंध में प्रत्येक राज्यों के व्यय आंकड़ों (आयोजना तथा आयोजना-भिन्न) की जांच की गई थी। शिक्षा के मामले में, मुख्य शीर्ष 2202 (आयोजना तथा आयोजना-भिन्न) के अंतर्गत राजस्व व्यय का अनुपात प्रत्येक राज्य के संबंध में इसके "समायोजित" कुल राजस्व व्यय (आयोजना तथा आयोजना-भिन्न) के संदर्भ में निकाला गया है। इस अनुपात को निकालते समय, पेंशन, ब्याज भुगतान तथा अन्य समायोजन मदों (जिनका उल्लेख पहले ही अध्याय 6 में किया जा चुका है) से संबद्ध व्ययों को "समायोजित" कुल राजस्व व्यय में लेने हेतु आयोजना-भिन्न राजस्व व्यय से हटा दिया गया था। तत्पश्चात्, औसत अनुपात विशेष तथा गैर-विशेष श्रेणी वाले राज्यों के संबंध में निकाला गया। जिन राज्यों का अनुपात उनके संबद्ध समूह औसत से कम था, उन्हें शिक्षा क्षेत्र के संबंध में निम्न व्यय तरजीह के रूप में इस अर्थ में माना गया कि ये राज्य अन्य राज्यों से उनके समूह बतौर तुलना करने पर व्यय करने में (राजस्व व्यय के प्रतिशत के रूप में) समर्थ नहीं हैं। इसलिए इस निम्न व्यय तरजीह का प्रामाणिक तौर पर संबद्ध समूह औसत अनुपात के माध्यम से उन राज्यों के संबंध में सुधार किया गया जो औसत से नीचे थे। इस समायोजन के बाद, प्रत्येक राज्य के लिए वर्ष 2002-03 हेतु शिक्षा से संबद्ध संशोधित प्रति व्यक्ति राजस्व व्यय (आयोजना तथा आयोजना-भिन्न) दोनों को मिलाकर) निकाला गया। उसके बाद विशेष तथा गैर-विशेष श्रेणी वाले राज्यों के दो समूहों हेतु औसत प्रति व्यक्ति व्यय निकाला गया। जिन राज्यों का प्रति व्यक्ति व्यय उनके समूह औसत से कम था, उनकी गणना वित्तीय सहायता की जरूरत वाले राज्यों के रूप में की गई क्योंकि उनका अपेक्षाकृत निम्न व्यय निम्न राजकोषीय क्षमता के कारण हो सकता है। हमने 15 प्रतिशत अंतर को कवर करने हेतु अपेक्षित अनुदान की राशि का अनुमान लगाया जिससे एक निम्न औसत राज्य प्रति व्यक्ति व्यय के अपने समूह औसत (निम्न व्यय तरजीह को समायोजित करने के बाद) से पीछे छूट रहा है। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि यह अनुदान आयोजना तथा आयोजना-भिन्न राजस्व व्यय दोनों के संदर्भ में 15 प्रतिशत अंतर के बराबर है और

सारणी 10.5

शिक्षा क्षेत्र के लिए सहायता अनुदान (मुख्य शीर्ष 2202)

(करोड़ रुपए)

राज्य	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	2005-10
1	2	3	4	5	6	7
असम	183.20	200.60	219.66	240.53	263.38	**1107.37**
बिहार	443.99	486.17	532.36	582.93	638.31	**2683.76**
झारखंड	107.82	118.06	129.28	141.56	155.01	**651.73**
मध्य प्रदेश	76.03	83.25	91.16	99.82	109.30	**459.56**
उड़ीसा	53.49	58.57	64.13	70.22	76.89	**323.30**
राजस्थान	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	**100.00**
उत्तर प्रदेश	736.87	806.87	883.52	967.45	1059.36	**4454.07**
पश्चिम बंगाल	64.83	70.99	77.73	85.11	93.20	**391.86**
कुल राज्य	**1686.23**	**1844.51**	**2017.84**	**2207.62**	**2415.45**	**10171.65**

यदि इसे केवल आयोजना-भिन्न राजस्व व्यय की एवज में देखा जाता है तो यह अनुपात अपेक्षाकृत अधिक होगा। तथापि, समकारी-सीमा को संसाधनों की उपलब्धता से सीमित किया जा सकता है। इस प्रकार शिक्षा के लिए वर्ष 2002-03 में अपेक्षित अनुदान राशि का निर्धारण करने के बाद शिक्षा पर आयोजना-भिन्न राजस्व व्यय हेतु वर्ष 1993-2003 के लिए विकास दर प्रवृत्ति समूह के बराबर विकास दर को इस राशि पर लागू किया गया ताकि आधार वर्ष में अनुदान की मात्रा का अनुमान लगाया जा सके। तत्पश्चात, पूर्वानुमान अवधि के दौरान 9.5 प्रतिशत की विकास दर नियत की गई। यह वह दर है जिसमें शिक्षा पर सामान्य व्यय स्रोत के बढ़ने का अनुमान प्रत्येक राज्य के संबंध में पूर्व-सुपुर्दगी आयोजना-भिन्न राजस्व अधिशेष/घाटे का निर्धारण करने हेतु लगाया गया है। इस प्रक्रिया के फलस्वरूप, हमने आठ राज्यों के लिए अवार्ड अवधि 2005-10 के लिए 10171.65 करोड़ रुपए सहायता अनुदान प्रदान करने की सिफारिश की जिसमें किसी भी पात्र राज्य हेतु एक वर्ष में न्यूनतम 20 करोड़ रुपए की राशि प्रदान करना शामिल है। ब्यौरा सारणी 10.5 में दिया गया है।

10.18 जहां तक स्वास्थ्य क्षेत्र (मुख्य शीर्ष 2210 तथा 2211) के संबंध में प्रदान किए जाने वाले अनुदान का संबंध है, शिक्षा के क्षेत्र में विचार-विमर्श की गई विधि का ही पालन इसमें भी किया जाएगा। तथापि, दो महत्वपूर्ण अंतर हैं। स्वास्थ्य के मामले में, हमने वर्ष 2002-03 के लिए अतिरिक्त अनुदान का निर्धारण करने हेतु शिक्षा के मामले में 15 प्रतिशत की तुलना में समूह औसत प्रति व्यक्ति के अंतर का उच्च प्रतिशत अर्थात् 30 प्रतिशत निर्धारित किया है। ऐसा इस कारण से है कि जहां एक और शिक्षा क्षेत्र में हाल ही में सर्व शिक्षा अभियान के रूप में महत्वपूर्ण प्रयास किए गए हैं और जिसके लिए पर्याप्त निधि भारत सरकार द्वारा उपलब्ध कराई जा रही है। वहीं दूसरी ओर स्वास्थ्य क्षेत्र में केन्द्रीय वित्तपोषण में ऐसी बढ़ोतरी की अभाव रहा है। अन्य अंतर-पूर्वानुमान अवधि के लिए नियत विकास दर से संबंधित है। यह स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए 11.5 प्रतिशत है, इसमें विकास दर पर ध्यान दिया गया है और जिसका अनुमान पूर्व-सुपुर्दगी आयोजना-भिन्न राजस्व अधिशेष/घाटा के निर्धारण के प्रयोजनार्थ स्वास्थ्य के लिए सामान्य व्यय स्रोतों से लगाया गया है। इस कार्रवाई के परिणामस्वरूप, स्वास्थ्य क्षेत्र (मुख्य शीर्ष 2210 तथा 2211) के लिए अवार्ड अवधि 2005-10 के लिए सात राज्यों को 5887.08 करोड़ रुपए की राशि का अनुदान प्रदान करने की सिफारिश करते हैं जिसमें किसी भी पात्र राज्य हेतु न्यूतम 10 करोड़ रुपए रखा जाएगा। ब्यौरा सारणी 10.6 में दिया गया है।

10.19 शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्रों के लिए ये अनुदान राज्यों द्वारा इन क्षेत्रों में किए जाने वाले सामान्य खर्च के अलावा अतिरिक्त रूप से दिए जा रहे हैं। इन अनुदानों को केवल संबंधित क्षेत्रों (आयोजना-भिन्न) के लिए ही प्रयोग किया जाना चाहिए अर्थात् शिक्षा के मामले में मुख्य शीर्ष 2202 और स्वास्थ्य के मामले में मुख्य शीर्ष 2210 और 2211। इन अनुदानों की निर्मुक्ति और उपयोग को शासित करने वाली शर्तें अनुबंध 10.1 से 10.3 में विनिर्दिष्ट की गई हैं। इन अनुदानों से संबंधित व्यय का अनुवीक्षण (मानीटरिंग) संबंधित राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा।

सड़कों और भवनों का रख-रखाव

10.20 विचाराधीन विषय के पैरा 6(vi) के तहत यह अपेक्षा की जाती है कि हम पूंजीगत आस्तियों के रख-रखाव के वेतन-भिन्न घटक पर व्यय को ध्यान में रखें और इस प्रयोजन हेतु विशिष्ट धनराशियों की सिफारिश करें। ग्यारहवें वित्त आयोग ने सड़कों और भवनों के रखरखाव के लिए पृथक अनुदानों की सिफारिश नहीं की है। इसके बजाए रखरखाव संबंधी अनुमानों को आयोजना-भिन्न राजस्व व्यय के समग्र अनुमानों में शामिल कर दिया गया और इस प्रयोजन हेतु आवश्यकता को आयोजना-भिन्न राजस्व घाटा अनुदान में सन्निहित कर दिया गया। लेकिन हमने देखा है कि सड़कों और भवनों के रखरखाव को राज्यों द्वारा पर्याप्त महत्व नहीं दिया गया है। इसलिए, हम सड़कों और पुलों के रखरखाव और भवनों के रखरखाव के लिए पृथक रूप से अतिरिक्त अनुदानों की सिफारिश कर रहे हैं।

10.21 सड़कों और पुलों के मामले में, आधार वर्ष में रखरखाव के लिए निधियों की आवश्यकता का निर्धारण मानक रूप में सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा मैदानी और पहाड़ी इलाकों के

सारणी 10.6

स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए सहायता अनुदान (मुख्य शीर्ष 2210 तथा 2211)

(करोड़ रुपए)

राज्य	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	2005-10
1	2	3	4	5	6	7
असम	153.58	171.24	190.93	212.89	237.38	**966.02**
बिहार	289.30	322.57	359.66	401.02	447.14	**1819.69**
झारखंड	57.39	63.99	71.35	79.55	88.70	**360.98**
मध्य प्रदेश	28.88	32.20	35.90	40.03	44.63	**181.64**
उड़ीसा	31.22	34.81	38.81	43.28	48.25	**196.37**
उत्तर प्रदेश	367.63	409.90	457.04	509.60	568.21	**2312.38**
उत्तरांचल	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	**50.00**
कुल राज्य	**938.00**	**1044.71**	**1163.69**	**1296.37**	**1444.31**	**5887.08**

लिए प्रस्तुत मानदंडों को उनके कुछ संशोधनों के साथ अपनाते हुए किया गया था। हालांकि सामान्य मरम्मतों की पूरी व्यवस्था कर दी गई है, लेकिन समय-समय पर की जाने वाली मरम्मतों के लिए व्यवस्था को मानदंडों के 20 प्रतिशत तक सीमित रखा गया है। सड़क की लम्बाई के संबंध में राज्यों से प्राप्त आंकड़ों को अपनाते हुए रखरखाव संबंधी व्यय के लिए निधियों की मानक आधारित आवश्यकता का अनुमान आधार वर्ष 2004-05 तथा पूर्वानुमान की अवधि के लिए लगाया गया है। प्रत्येक राज्य के संबंध में पूर्वानुमान अवधि के लिए वृद्धि दर प्रवृत्ति टीजीआर पर आधारित व्यय प्रवाह का भी अनुमान लगाया गया है। इन दोनों अनुमानों को ध्यान में रखते हुए हमने वर्ष 2006-2010 की अवधि के दौरान 15,000 करोड़ रुपए की राशि प्रदान करने का निर्णय लिया है। यह राशि उस सामान्य व्यय के अलावा है जो राज्य सड़कों और पुलों के रखरखाव के लिए खर्च करेंगे। राज्यों को इसका वितरण सड़क की लम्बाई के आधार पर किया गया है। इस प्रयोजन हेतु स्थानीय सड़कों और पहाड़ी क्षेत्रों की सड़कों को इनसे भिन्न सड़कों की लम्बाई में जोड़ने से पूर्व सड़कों की लम्बाई की भारिता 0.5 और पहाड़ी क्षेत्रों की सड़कों की भारिता 1.2 निर्धारित की गई है। इसके अलावा, हमने यह राशि पूर्वानुमान अवधि के अंतिम चार वर्षों (अर्थात् वर्ष 2006-07 से वर्ष 2009-10) में समान किश्तों में प्रदान करने का निर्णय लिया है ताकि राज्यों को इन निधियों के उपयोग की तैयारी करने के लिए एक वर्ष का समय मिल जाए। सड़कों और पुलों के रखरखाव के लिए सहायता अनुदानों के तौर पर सिफारिश की गई राज्य-वार धनराशि का ब्यौरा सारणी 10.7 में दर्शाया गया है।

10.22 सरकारी भवनों के मामले में रखरखाव संबंधी मानदंड केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग (सीपीडब्ल्यूडी) से प्राप्त किए गए थे। ये मानदंड बहुत व्यापक और बहुत ही अलग हैं, जिनमें भिन्न-भिन्न किस्मों और अवधियों वाले भवन शामिल हैं और ये सिविल और निर्माण कार्यों के संबंध में भी अलग-अलग हैं। हालांकि ये राज्य, राज्य के सभी सरकारी भवनों के कुल आधार क्षेत्र का ब्यौरा प्रदान कर सकते थे लेकिन उनके लिए इसके अलग-अलग आंकड़े प्रस्तुत करना मुश्किल था, जो सीपीडब्ल्यूडी मानदंडों के प्रयोग हेतु अपेक्षित थे। कुछ राज्यों द्वारा बताया गया आधार क्षेत्र की असामान्य रूप से अधिक पाया गया और उसका उसी आकार के राज्यों के साथ साम्य रखते हुए समायोजन करना पड़ा। हमने सरकारी भवनों के रखरखाव के लिए अनुदान के रूप में 5000 करोड़ रुपए की राशि की सिफारिश की है। आधार क्षेत्र के आधार पर राज्यों के बीच इसका वितरण सारणी 10.8 में दर्शाए गए अनुसार किया गया है।

10.23 अनुमान है कि सड़कों और पुलों तथा भवनों के भी रखरखाव के लिए अनुदान राज्यों द्वारा किए जाने वाले रखरखाव संबंधी सामान्य खर्च के अलावा अतिरिक्त रूप से दिए जाएंगे। ये अनुदान अनुबंध 10.4 से 10.6 तक में विनिर्दिष्ट शर्तों के अनुसार जारी और खर्च किए जाने चाहिए। इन अनुदानों से संबंधित व्यय का अनुवीक्षण संबंधित राज्य सरकारों द्वारा किया जाएगा।

राज्यों के लिए अतिरिक्त सहायता अनुदान

10.24 यह देखा गया है कि हिस्से योग्य करों का राज्यों के बीच वितरण करने के लिए प्रयोग किया गया फार्मूला अपनी प्रकृति के अनुसार किसी राज्य की सभी तरह की वित्तीय जरूरतों का ध्यान नहीं रख सकता। इसलिए यह जरूरी है कि राज्यों की कतिपय साधारण और विशेष जरूरतों का ध्यान रखा जाए। छठे वित्त आयोग से शुरू करके पिछले वित्त आयोग राज्यों की विशेष जरूरतों के लिए तब भी पृथक रूप से सहायता अनुदान प्रदान करते रहे हैं जबकि विचारार्थ विषय में भी विशेष समस्याओं का विशिष्ट रूप में कोई उल्लेख नहीं किया गया था। हमारी चर्चाओं और राज्यों के दौरों के आधार पर हमने राज्यों की कतिपय साधारण और विशेष जरूरतों के लिए अनुदानों की सिफारिश करने का भी निर्णय लिया है। इनकी चर्चा अगले पैराग्राफों में भी की जाएगी।

वनों का रखरखाव

10.25 कई राज्यों ने बताया है कि वन सम्पत्ति के दोहन पर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों के बाद वन राजस्व का एक स्रोत होने की अपेक्षा राज्यों के लिए एक निवल देनदारी बन गए हैं। ग्यारहवें वित्त आयोग ने पूरे देश में वनों के प्रबंध के लिए कुशल कार्य योजनाएं तैयार कर उन्हें कार्यान्वित करने की सिफारिश की है। कुछ राज्यों ने पहले से ही कार्य योजनाएं मंजूर करा लीं हैं और उन्हें कार्यान्वित करना शुरू कर दिया है। लेकिन, उन्होंने बताया है

सारणी 10.7

सड़कों और पुलों के रखरखाव के लिए सहायता अनुदान

(करोड़ रुपए)

राज्य	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	2005-10
1	2	3	4	5	6	7
आन्ध्र प्रदेश	0.00	245.03	245.03	245.03	245.03	**980.12**
अरुणाचल प्रदेश	0.00	11.09	11.09	11.09	11.09	**44.36**
असम	0.00	82.53	82.53	82.53	82.53	**330.12**
बिहार	0.00	77.34	77.34	77.34	77.34	**309.36**
छत्तीसगढ़	0.00	65.60	65.60	65.60	65.60	**262.40**
गोवा	0.00	9.87	9.87	9.87	9.87	**39.48**
गुजरात	0.00	223.80	223.80	223.80	223.80	**895.20**
हरियाणा	0.00	45.68	45.68	45.68	45.68	**182.72**
हिमाचल प्रदेश	0.00	65.41	65.41	65.41	65.41	**261.64**
जम्मू और कश्मीर	0.00	29.42	29.42	29.42	29.42	**117.68**
झारखंड	0.00	102.26	102.26	102.26	102.26	**409.04**
कर्नाटक	0.00	364.53	364.53	364.53	364.53	**1458.12**
केरल	0.00	160.58	160.58	160.58	160.58	**642.32**
मध्य प्रदेश	0.00	146.72	146.72	146.72	146.72	**586.88**
महाराष्ट्र	0.00	297.42	297.42	297.42	297.42	**1189.68**
मणिपुर	0.00	19.24	19.24	19.24	19.24	**76.96**
मेघालय	0.00	21.60	21.60	21.60	21.60	**86.40**
मिजोरम	0.00	10.53	10.53	10.53	10.53	**42.12**
नागालैंड	0.00	30.22	30.22	30.22	30.22	**120.88**
उड़ीसा	0.00	368.77	368.77	368.77	368.77	**1475.08**
पंजाब	0.00	105.24	105.24	105.24	105.24	**420.96**
राजस्थान	0.00	158.33	158.33	158.33	158.33	**633.32**
सिक्किम	0.00	4.66	4.66	4.66	4.66	**18.64**
तमिलनाडु	0.00	303.60	303.60	303.60	303.60	**1214.40**
त्रिपुरा	0.00	15.37	15.37	15.37	15.37	**61.48**
उत्तर प्रदेश	0.00	600.79	600.79	600.79	600.79	**2403.16**
उत्तरांचल	0.00	81.14	81.14	81.14	81.14	**324.56**
पश्चिम बंगाल	0.00	103.23	103.23	103.23	103.23	**412.92**
कुल राज्य	**0.00**	**3750.00**	**3750.00**	**3750.00**	**3750.00**	**15000.00**

कि कार्य योजना के अनुसार वन क्षेत्र का रख-रखाव वित्तीय अड़चनों के कारण एक समस्या बन गया है। उन्होंने अनुरोध किया है कि वनों के अनुरक्षण हेतु उन्हें पृथक अनुदान मुहैया कराए जाएं। हम मानते हैं कि वन राष्ट्रीय सम्पत्ति है और पूरे देश की जिम्मेदारी है कि इनका संरक्षण करे। तद्नुसार, हमने निर्णय लिया है कि वनों के रख-रखाव हेतु वर्ष 2005-10 की पंचाट (एवार्ड) अवधि में 1000 करोड़ रुपए का अनुदान प्रदान करने की सिफारिश की जाए। यह राशि अब खर्च के अलावा होगी जो राज्य अपने वन विभागों के माध्यम से खर्च कर रहे हैं। राज्यों के बीच इस रकम को उनके वन क्षेत्र के आधार पर वितरित किया गया है, और इसे सम्पत्ति के संरक्षण के लिए खर्च किया जाना चाहिए। इस तरह का अधिक व्यय वन विभाग के सामान्य खर्च के अतिरिक्त, इस अनुदान की मात्रा तक होना चाहिए। सारणी 10.9 में इस अनुदान का राज्य-वार ब्यौरा दर्शाया गया है।

ऐतिहासिक विरासत संरक्षण

10.26 राज्यों की अपनी यात्राओं के दौरान हमें अनेक ऐतिहासिक स्मारकों एवं पुरातत्वीय स्थलों को देखने का अवसर प्राप्त हुआ। यह देखा गया कि इनमें से अधिकांश स्थलों का रख-रखाव बहुत खराब था। कई राज्य सरकारों ने इनके रख-रखाव हेतु निधियां मुहैया कराने के लिए प्रस्ताव भेजे हैं। इन अनुरोधों पर ध्यानपूर्वक विचार किया गया है। हमारा यह विचार है कि ये स्मारक और पुरातत्वीय स्थल हमारे गैर-नवीकरणीय सांस्कृतिक साधन हैं और इन्हें सुरक्षित रखने और इनका दौरा करने के लिए लोगों को प्रोत्साहित करने की बहुत जरूरत है। तद्नुसार हमने निर्णय लिया है कि इस प्रयोजन

सारणी 10.8

सरकारी भवनों के रखरखाव के लिए सहायता अनुदान

(करोड़ रुपए)

राज्य	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	2005-10
1	2	3	4	5	6	7
आन्ध्र प्रदेश	0.00	60.64	60.63	60.63	60.63	242.53
अरुणाचल प्रदेश	0.00	14.35	14.35	14.36	14.36	57.42
असम	0.00	57.66	57.66	57.66	57.66	230.64
बिहार	0.00	89.90	89.90	89.91	89.90	359.61
छत्तीसगढ़	0.00	45.78	45.77	45.77	45.77	183.09
गोवा	0.00	6.05	6.05	6.04	6.04	24.18
गुजरात	0.00	50.90	50.90	50.90	50.91	203.61
हरियाणा	0.00	37.95	37.95	37.95	37.95	151.80
हिमाचल प्रदेश	0.00	36.90	36.90	36.90	36.90	147.60
जम्मू और कश्मीर	0.00	41.14	41.14	41.13	41.13	164.54
झारखंड	0.00	39.90	39.90	39.90	39.91	159.61
कर्नाटक	0.00	51.28	51.28	51.28	51.28	205.12
केरल	0.00	25.88	25.88	25.87	25.87	103.50
मध्य प्रदेश	0.00	110.76	110.76	110.75	110.75	443.02
महाराष्ट्र	0.00	55.90	55.90	55.90	55.91	223.61
मणिपुर	0.00	9.42	9.43	9.43	9.43	37.71
मेघालय	0.00	8.75	8.76	8.75	8.76	35.02
मिजोरम	0.00	5.82	5.82	5.82	5.83	23.29
नागालैंड	0.00	11.54	11.55	11.54	11.54	46.17
उड़ीसा	0.00	97.28	97.28	97.29	97.29	389.14
पंजाब	0.00	37.95	37.95	37.95	37.95	151.80
राजस्थान	0.00	53.27	53.27	53.27	53.28	213.09
सिक्किम	0.00	8.04	8.03	8.04	8.04	32.15
तमिलनाडु	0.00	60.64	60.63	60.63	60.63	242.53
त्रिपुरा	0.00	12.53	12.53	12.53	12.52	50.11
उत्तर प्रदेश	0.00	150.07	150.07	150.08	150.06	600.28
उत्तरांचल	0.00	24.40	24.40	24.40	24.40	97.60
पश्चिम बंगाल	0.00	45.30	45.31	45.32	45.30	181.23
कुल रज्य	**0.00**	**1250.00**	**1250.00**	**1250.00**	**1250.00**	**5000.00**

हेतु पंचाट अवधि के दौरान 625 करोड़ रुपए की राशि की सिफारिश की जाए। राज्यों के बीच इस रकम का वितरण करने के लिए हमें उनके द्वारा सूचित आवश्यकताओं से मार्गदर्शन मिला है। इस अनुदान का प्रयोग ऐतिहासिक स्मारकों के पुरातत्वीय स्थलों, सार्वजनिक पुस्तकालयों, संग्रहालयों और अभिलेखागारों के परिरक्षण और सुरक्षा तथा इन स्थलों का दौरा सुविधाजनक बनाने के लिए पर्यटक आधारभूत ढांचे में सुधार लाने के लिए भी किया जाएगा। सारणी 10.10 प्रत्येक राज्य के लिए निर्धारित सहायता अनुदानों को दर्शाती है।

राज्यों की विशेष जरूरतें

10.27 सभी राज्यों ने राज्यों के कतिपय विशेष मुद्दों का समाधान करने के लिए अपने ज्ञापन में अनुदानों की मांग की है। स्पष्टतः ऐसे सभी अनुरोधों पर विचार करना संभव नहीं है। राज्यों की बहुत भारी जरूरतों का मूल्यांकन राज्यों द्वारा बैठक में तथा राज्यों में आयोग के दौरों के दौरान किए गए अभ्यावेदनों के आधार पर किया गया था। राज्यों की विशेष जरूरतों के लिए सिफारिश किए गए अनुदानों का ब्यौरा आगे दिया गया है।

आन्ध्र प्रदेश

(i) *फ्लूराइड प्रभावित क्षेत्रों में पेयजल की आपूर्तिः* राज्य सरकार ने फ्लूरासिस को पूरी तरह समाप्त करके सुरक्षित पेयजल की आपूर्ति हेतु 500 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत पर नालगोंडा और पड़ोसी जिलों में डि-फ्लुरिनेशन संयंत्रों के संस्थान हेतु विशेष

सारणी 10.9

वनों के रखरखाव के लिए सहायता अनुदान

(करोड़ रुपए)

राज्य	वन क्षेत्र (वर्ग किमी)	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	2005-10
1	2	3	4	5	6	7	8
आन्ध्र प्रदेश	44637	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	65.00
अरुणाचल प्रदेश	68045	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	100.00
असम	27714	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	40.00
बिहार	5720	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	5.00
छत्तीसगढ़	56448	17.00	17.00	17.00	17.00	17.00	85.00
गोवा	2095	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	3.00
गुजरात	15152	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	20.00
हरियाणा	1754	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	2.00
हिमाचल प्रदेश	14360	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	20.00
जम्मू और कश्मीर	21237	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	30.00
झारखंड	22637	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	30.00
कर्नाटक	36991	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	55.00
केरल	15560	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	25.00
मध्य प्रदेश	77265	23.00	23.00	23.00	23.00	23.00	115.00
महाराष्ट्र	47482	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	70.00
मणिपुर	16926	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	30.00
मेघालय	15584	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	30.00
मिजोरम	17494	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	25.00
नागालैंड	13345	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	25.00
उड़ीसा	48838	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	75.00
पंजाब	2432	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	2.00
राजस्थान	16367	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	25.00
सिक्किम	3193	1.60	1.60	1.60	1.60	1.60	8.00
तमिलनाडु	21482	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	30.00
त्रिपुरा	7065	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	15.00
उत्तर प्रदेश	13746	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	20.00
उत्तरांचल	23938	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	35.00
पश्चिम बंगाल	10693	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	15.00
कुल राज्य	**668200**	**200.00**	**200.00**	**200.00**	**200.00**	**200.00**	**1000.00**

पैकेज के लिए अनुरोध किया है।

(ii) *दूर-दराज के इलाकों में रहने वाले लोगों की सामाजिक-आर्थिक दशाओं में सुधारः* राज्य सरकार ने दूर-दराज तथा जनजातीय इलाकों में सड़कों के निर्माण के लिए 300 करोड़ रुपए के अनुदान के लिए अनुरोध किया है। इस प्रयोजन हेतु 175 करोड़ रुपए की राशि मुहैया कराई गई है।

अरुणाचल प्रदेश

राजकोष भवनः इसके 12 राजकोष और 5 उप-राजकोष भवनों के लिए जोकि जीर्ण-शीर्ण हालत में हैं, राज्य सरकार ने 10 करोड़ रुपए की सहायता के लिए अनुरोध किया है जो प्रदान की जा रही है।

असम

(i) *शहरी इलाकों का विकासः* राज्य सरकार ने सड़क किनारे नालियां बनवाने और गुवाहाटी शहर में बाद के पानी की निकासी के लिए 924 करोड़ रुपए की व्यवस्था करने के लिए अनुरोध किया है। गुवाहाटी शहर में सड़क के किनारे नालियां बनवाने के लिए प्रारंभिक राशि के तौर पर 121 करोड़ रुपए की सहायता प्रदान की जा रही है।

सारणी 10.10

ऐतिहासिक विरासत संरक्षण के लिए सहायता अनुदान

(करोड़ रुपए)

राज्य	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	2005-10
1	2	3	4	5	6	7
आन्ध्र प्रदेश	0.00	10.00	10.00	10.00	10.00	40.00
अरुणाचल प्रदेश	0.00	1.25	1.25	1.25	1.25	5.00
असम	0.00	5.00	5.00	5.00	5.00	20.00
बिहार	0.00	10.00	10.00	10.00	10.00	40.00
छत्तीसगढ़	0.00	2.50	2.50	2.50	2.50	10.00
गोवा	0.00	5.00	5.00	5.00	5.00	20.00
गुजरात	0.00	6.25	6.25	6.25	6.25	25.00
हरियाणा	0.00	3.75	3.75	3.75	3.75	15.00
हिमाचल प्रदेश	0.00	2.50	2.50	2.50	2.50	10.00
जम्मू और कश्मीर	0.00	2.50	2.50	2.50	2.50	10.00
झारखंड	0.00	2.50	2.50	2.50	2.50	10.00
कर्नाटक	0.00	12.50	12.50	12.50	12.50	50.00
केरल	0.00	6.25	6.25	6.25	6.25	25.00
मध्य प्रदेश	0.00	5.00	5.00	5.00	5.00	20.00
महाराष्ट्र	0.00	12.50	12.50	12.50	12.50	50.00
मणिपुर	0.00	1.25	1.25	1.25	1.25	5.00
मेघालय	0.00	1.25	1.25	1.25	1.25	5.00
मिजोरम	0.00	1.25	1.25	1.25	1.25	5.00
नागालैंड	0.00	1.25	1.25	1.25	1.25	5.00
उड़ीसा	0.00	12.50	12.50	12.50	12.50	50.00
पंजाब	0.00	2.50	2.50	2.50	2.50	10.00
राजस्थान	0.00	12.50	12.50	12.50	12.50	50.00
सिक्किम	0.00	1.25	1.25	1.25	1.25	5.00
तमिलनाडु	0.00	10.00	10.00	10.00	10.00	40.00
त्रिपुरा	0.00	1.25	1.25	1.25	1.25	5.00
उत्तर प्रदेश	0.00	12.50	12.50	12.50	12.50	50.00
उत्तरांचल	0.00	1.25	1.25	1.25	1.25	5.00
पश्चिम बंगाल	0.00	10.00	10.00	10.00	10.00	40.00
कुल राज्य	**0.00**	**156.25**	**156.25**	**156.25**	**156.25**	**625.00**

(ii) *स्वास्थ्य आधारभूत ढांचाः* राज्य सरकार की सहायता से गुवाहाटी में स्थापित उच्च तकनीकी अस्पताल में नेत्र चिकित्सा संबंधी सुविधाओं का विस्तार करने तथा उन्हें उन्नत बनाने के लिए 9 करोड़ रुपए की राशि मुहैया कराने हेतु अनुरोध किया गया है। राज्य सरकार को यह राशि प्रदान की जा रही है।

बिहार

(i) *तकनीकी शिक्षाः* चूंकि राज्य के विभाजन के पश्चात प्रमुख तकनीकी संस्थान झारखंड में चले गए हैं इसलिए राज्य सरकार द्वारा, वर्तमान तकनीकी संस्थानों जैसे कि मुजफ्फरपुर प्रौद्योगिकी संस्थान, भागलपुर इंजीनियरी महाविद्यालय, लोक नायक जयप्रकाश प्रौद्योगिकी संस्थान और छह सरकारी पालिटेक्निकों को उन्नत बनाने और के लिए 108.33 करोड़ रुपए की राशि के लिए अनुरोध किया गया है। इस प्रयोजन हेतु 50 करोड़ रुपए का अनुदान उपलब्ध कराया जा रहा है।

(ii) *प्रशासनिक प्रशिक्षण संस्थान की स्थापनाः* बिहार का प्रशासनिक प्रशिक्षण संस्थान रांची में स्थित था और अब यह झारखंड सरकार के अधीन है। बिहार सरकार का अब 110.17 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत पर एक नया संस्थान स्थापित करने का

प्रस्ताव है। इस प्रयोजन हेतु 50 करोड़ रुपए का अनुदान मुहैया कराया जा रहा है।

(iii) *ई-गवर्नेंसः* राज्य ने 47.95 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत पर बिहार राजस्व प्रशासन इन्ट्रानेट (ब्रेन) नामक एक परियोजना तैयार की है। परियोजना का उद्देश्य वित्त विभाग में स्थित आंकड़ा केन्द्र (डाटा सेन्टर) से वाणिज्यिक करों, पंजीकरण, राजकोषों एवं उप-राजकोषों तथा भविष्य निधि निदेशालय के संबंध में आन-लाइन आंकड़े एकत्रित करना और उनका उपयोग करना है। परियोजना में न केवल उपर्युक्त कार्यालयों का बल्कि उस राज्य में उनके जिला स्तरीय कार्यालय का भी आंतरिक कम्प्यूटरीकरण किया गया है। इस परियोजना के लिए हमने 40 करोड़ रुपए की राशि प्रदान की है।

(iv) *किशोर न्याय अधिनियम के तहत सुधार गृहों का निर्माण और सुधारालयों, अनुरक्षण गृहों और विकलांगों के लिए आवासी विद्यालय में सुधारः* इस संबंध में राज्य द्वारा 21.20 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है। इस परियोजना के लिए 20 करोड़ रुपए की राशि प्रदान की गई है।

(v) *शहरी जलापूर्ति और जल निकास सुधारः* राज्य द्वारा प्रमुख शहरों में जलापूर्ति, मल-व्ययन और जल-निकास की सुविधाओं में वृद्धि करने की एक परियोजना तैयार की गई है। इस पर 180 करोड़ रुपए की लागत का अनुमान लगाया गया है। यह राशि प्रदान कर दी गई है।

(vi) अग्निशमन सेवाएंः अग्निशमन सेवाओं के आधारभूत ढांचे को मजबूत बनाने के लिए राज्य सरकार ने 10.65 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत पर एक विकास योजना तैयार की है। इस प्रस्ताव में अग्निशमन केन्द्र की इमारत का निर्माण करना, पुराने दमकल उपकरणों को बदलना, नए उपकरणों की खरीद और अग्निशमन सेवा प्रशिक्षण विद्यालय की स्थापना करना शामिल है। इस प्रयोजन हेतु 10 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है।

(vii) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़े वर्गों के बच्चों के लिए आवासी विद्यालयों और छात्रावासों का निर्माणः अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और समाज के अन्य कमजोर वर्गों के बच्चों के शैक्षणिक स्तरों में सुधार लाने की दृष्टि से राज्य सरकार ने 124.22 करोड़ रुपए की लागत से बालक और बालिकाओं के लिए आवासी विद्यालयों और छात्रावासों का निर्माण करने का प्रस्ताव किया है। विशेषतया बालिकाओं के लिए ऐसे आवासी विद्यालयों और छात्रावासों का निर्माण करने के लिए 50 करोड़ रुपए की राशि उपलब्ध कराई गई है।

छत्तीसगढ़

(i) रायपुर में राज्य की राजधानी का विकासः राज्य ने रायपुर में राज्य की राजधानी का विकास करने के लिए 1000 करोड़ रूपए की राशि के लिए अनुरोध किया है। हमने, रायपुर में राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली जमीन पर सचिवालय विधानसभा और अन्य भवनों के निर्माण सहित राज्य स्तर के आधारभूत ढांचे का सृजन करने के लिए 200 करोड़ रूपए प्रदान किए हैं।

(ii) पुलिस आधारभूत ढांचे में सुधार करनाः राज्य ने, पुलिस बल के अस्त्र-शस्त्र/युद्धोपकरणों, वाहनों, प्रशिक्षण और संचार संबंधी आधारभूत ढांचे के उन्नयन और सुधार के लिए 237 करोड़ रूपए के अनुदान हेतु अनुरोध किया है। इस प्रयोजन हेतु हमने 100 करोड़ रूपए की राशि प्रदान की है।

गोआ

स्वास्थ्य संबंधी आधारभूत ढांचाः प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के सुधार हेतु राज्य द्वारा मांगी गई 150 करोड़ रूपए की सहायता के एवज में 10 करोड़ रूपए का अनुदान प्रदान किया जा रहा है।

गुजरात

लवण उपस्थितिः राज्य ने विशेष रूप से सौराष्ट्र के तटवर्ती क्षेत्र में जमीन में लवण की उपस्थिति से पैदा होने वाली समस्या से निपटने के लिए 1000 करोड़ रूपए की राशि के लिए अनुरोध किया है। गुजरात की 1600 कि. मी. की समुद्र तट रेखा काफी लम्बी है जो भारत की कुल तटरेखा का लगभग एक तिहाई है। इस राज्य में लवणता की स्थिति के कारण लगभग सात लाख हेक्टर तटवर्ती भूमि की उर्वरता समाप्त हो गई है जिसके परिणामस्वरूप तटवर्ती क्षेत्र की आर्थिक सम्पन्नता पर बुरा प्रभाव पड़ा है। इस समस्या के समाधान की अत्यावश्यकता को देखते हुए हमने इन परियोजनाओं के लिए 200 करोड़ रूपए की राशि प्रदान की है।

हरियाणा

जल अवरूद्धता/लवणता और जल का गिरता स्तरः राज्य सरकार ने सूचित किया है कि हरियाणा के कुछ भागों में बड़े पैमाने पर नहरों द्वारा सिंचाई शुरू किए जाने के कारण जल स्तर और बढ़ गया है जिसके तल में खारा पानी है। जल अवरूद्धता/लवणता की समस्या से इस राज्य के कृषि उत्पादन को खतरा है। इसके अलावा, अलवणीय जल क्षेत्र से जल की अधिक निकासी होने के कारण इन दोनों क्षेत्रों में भूमिगत जल का स्तर काफी कम हो गया है। राज्य सरकार ने अनुरोध किया है कि इन समस्याओं के निकारण हेतु 523 करोड़ रूपए का अनुदान प्रदान किया जाए। इस प्रयोजन हेतु हमने 100 करोड़ रूपए की राशि प्रदान की है।

हिमाचल प्रदेश

शहरी इलाकों का विकासः संजुअली उप-मार्ग के निर्माण हेतु 13.46 करोड़ रूपए की राशि प्रदान करने के लिए अनुरोध किया गया है। हमने इस प्रयोजन हेतु 12 करोड़ रूपए प्रदान किए हैं। राज्य ने शिमला में जलापूर्ति बढ़ाने हेतु 39.37 करोड़ रूपए की लागत पर

एक परियोजना भी तैयार की है। इस प्रयोजन हेतु हमने 38 करोड़ रूपए की रकम प्रदान की है। कुल मिलाकर राज्य को शिमला में तथा उसके आस-पास के इलाकों के विकास हेतु 50 करोड़ रूपए की राशि के अनुदान मुहैया कराए जा रहे हैं।

जम्मू और कश्मीर

(i) पर्यटन संबंधी योजनाएंः राज्य सरकार ने पर्यटन संबंधी अपनी सुविधाओं के उन्नयन हेतु 136.33 करोड़ की सहायता मांगी है। इस प्रयोजन हेतु 90 करोड़ रूपए की सहायता प्रदान की जा रही है।

(ii) जम्मु में लोक सेवा आयोग भवन का निर्माणः राज्य सरकार द्वारा मांगी गई 15.85 करोड़ रूपए की सहायता की एवज में 10 करोड़ रूपए की राशि प्रदान की गई है।

झारखण्ड

(i) रांची स्थित राज्य की राजधानी का विकासः राज्य ने रांची में राज्य की राजधानी के विकास हेतु 5,000 करोड़ रूपए के अनुदान के लिए अनुरोध किया है। हमने रांची में राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई जमीन पर सचिवालय एवं अन्य भवनों के निर्माण सहित राज्य स्तर के आधारभूत ढांचे का सृजन करने के लिए 200 करोड़ रूपए की राशि प्रदान की है।

(ii) पुलिस बल की विशेष जरूरतेंः राज्य सरकार ने नए पुलिस स्टेशनों की स्थापना करने तथा पुलिस बल को आधुनिक बनाने और उनकी कार्यकुशलता बढ़ाने के लिए 181.90 करोड़ रूपए के अनुदान के लिए अनुरोध किया है। इस प्रयोजन हेतु हमने 130 करोड़ रूपए की राशि प्रदान की है।

कर्नाटक

(i) सामान्य प्रशासनः राज्य ने राज्य-वार वैन (डब्लयूएएन) तथा प्रशिक्षण संस्थानों के उन्नयन सहित सामान्य प्रशासन में सुधार लाने के लिए 250 करोड़ रूपए की राशि प्रदान करने का अनुरोध किया है। हमने, इन प्रयोजनों के लिए राज्य द्वारा मांगी गई धनराशि प्रदान कर दी है।

(ii) युवा सेवाएं एवं खेल-कूद की सुविधाएंः बहु-उद्देशीय व्यायामशालों तथा तालुका स्तर पर खेल परिसरों के निर्माण सहित युवा सेवाओं और खेल-कूद की सुविधाओं में सुधार करने के लिए 100 करोड़ रूपए की राशि के लिए अनुरोध किया है। हमने, राज्य द्वारा इस प्रयोजन हेतु मांगी गई धनराशि मुहैया करा दी है।

(iv) पुलिस प्रशासन को सुधारः राज्य सरकार ने अनुरोध किया है कि पुलिस प्रशासन को आधुनिक बनाने और उनकी कार्यकुशलता बढ़ाने के लिए 100 करोड़ रूपए का अनुदान प्रदान किया जाए। हमने, राज्य द्वारा इस प्रयोजन हेतु मांगी गई धनराशि मुहैया करा दी है।

(iii) स्वास्थ्य सेवाओं में सुधारः राज्य सरकार ने अनुरोध किया है कि स्थानीय स्तर पर एम्बुलेंस की सेवाएं मुहैया कराते हुए स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार करने के लिए 350 करोड़ रूपए का अनुदान प्रदान किया जाए। हमने इस प्रयोजन हेतु 150 करोड़ रूपए की राशि प्रदान की है।

केरल

(i) अन्तर्देशीय जल मार्ग और नहरः राज्य सरकार ने सूचित किया है कि अन्तर्देशीय जल परिवहन का उपयोग जोकि कुछेक दशक पहले तक परिवहन व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था बिल्कुल बंद हो गया है। परिवहन की इस व्यवस्था को वस्तुओं के भारी मात्रा में परिवहन तथा पर्यटन की वजह से फिर से महत्व दिया जाने लगा है। राज्य सरकार ने अनुरोध किया है कि वर्तमान मुख्य नहरों तथा सहायक नहरों में सुधार करने के लिए 237.49 करोड़ रूपए का अनुदान प्रदान किया जाए। हमने इस प्रयोजन हेतु 225 करोड़ रूपए की राशि प्रदान की है।

(ii) तटवर्ती क्षेत्र प्रबंधः राज्य सरकार ने राज्य में समुद्र बांध के निर्माण, रखरखाव एवं मरम्मत के लिए 199.43 करोड़ रूपए के अनुदान के लिए अनुरोध किया है। यह उल्लेख किया गया है कि केरल तट जबरदस्त कटाव से ग्रस्त है जिससे उपयोग तटवर्ती पारिस्थितिकी की व्यवस्था को नुकसान पहुंचता है तथा लाखों लोगों का जीवन प्रभावित होता है। लगभग 100 किलोमीटर के तटवर्ती होता है। लगभग 100 किलोमीटर के तटवर्ती क्षेत्र की जो कि जबरदस्त समुद्री कटाव प्रवण क्षेत्र है, दीर्घावधिक आधार पर अविलम्ब सुरक्षा करने की जरूरत है। हमने इस प्रयोजन हेतु 175 करोड़ रूपए की राशि प्रदान की है।

(iii) विद्यालयी शिक्षा की गुणवत्ता में सुधारः राज्य सरकार ने अनुरोध किया है कि पाठ विद्यालयों में, प्रयोगशालाओं और पुस्तकालयों का निर्माण करके और कम्प्युटर प्रदान करके शिक्षा के स्तरों की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए 258 करोड़ रूपए का अनुदान प्रदान किया जाए। हमने इस प्रयोजन हेतु 100 करोड़ रूपए की राशि प्रदान की है।

मध्य प्रदेश

(i) पर्यटन का विकासः राज्य सरकार ने धार्मिक पर्यटन, ऐतिहासिक विरासत पर्यटन, वन्य प्राणी और एडवेंचर पर्यटन को बढ़ावा देने, जैन सर्किट का विकास और बरहनपुर, आसिरगढ़ और सियोनी में नए पर्यटन

गंतव्यों का विकास करने के लिए पर्यटन संबंधी आधारभूत ढांचे के विकास हेतु 90 करोड़ रूपए के अनुदान के लिए अनुरोध किया है। हमने इस प्रयोजन हेतु 67 करोड़ रूपए की राशि प्रदान किए है। अनुदान का प्रयोग वेतनों के भुगतान, पर्यटकों के लिए बंगलों के निर्माण और वाहनों की खरीद के लिए नहीं किया जाना चाहिए।

(ii) सड़क आधारभूत ढांचे का विकासः राज्य सरकार ने राज्य में सड़क आधारभूत ढांचे में सुधार करने के लिए 1000 करोड़ रूपए के अनुदान के लिए अनुरोध किया है। यह बताया गया है कि राज्य में सड़कों की सक्षमता बहुत ही कम है और फलस्वरूप संयोजकता भी बहुत कम है। हमने सड़कों और पुलों के रखरखाव के लिए सहायता अनुदान के रूप में 586.88 करोड़ रूपए की व्यवस्था पहले ही कर दी है। (देखें सारणी 10.7) और राज्य में पर्यटन के आधरभूत ढांचे के विकास हेतु 67 करोड़ रूपए (उक्त उप-पैरा (i) का प्रावधान है। इस क्षेत्र में राज्य सुधार की आवश्यकताओं पर विचार करते हुए, हम सुदूर क्षेत्रों में मौजूदा सड़कों के सुधार और सड़क नेटवर्क का विस्तार करने हेतु 208 करोड़ रूपए के अतिरिक्त अनुदान की सिफारिश की है। इस अतिरिक्त अनुदान सहित, इस राज्य हेतु सड़क क्षेत्र के सम्बन्ध में राज्य के लिए कुल आवंटन 800 करोड़ रूपए से अधिक होगा।

(iii) शहरी क्षेत्रों का विकासः देवास में मौजूदा जलापूर्ति व्यवस्था, सड़क नेटवर्क के निर्माण/उसे चौड़ा करने और जल निकासी सुविधाओं में सुधार करने के लिए 29.71 करोड़ रूपए के अनुदान हेतु अनुरोध किया है। देवास दो महत्वपूर्ण क्षेत्रों इन्दौर तथा उज्जैन के सम्बन्ध में सैटलाइट कस्बे के रूप में सहायक है। हमने इस महत्वपूर्ण शहरी क्षेत्र के विकास प्रयोजनार्थ 25 करोड़ रूपए की व्यवस्था की है।

महराष्ट्र

(i) महिला तथा विकास कार्यक्रम हेतु आधारभूत ढांचाः राज्य सरकार ने महिला तथा बाल विकास के आधारभूत ढांचे में सुधार हेतु 93 करोड़ रूपए के अनुदान का अनुरोध किया है। हमने इस प्रयोजनार्थ 50 करोड़ रूपए इस शर्त के साथ उपलब्ध कराए है कि अनुदान का उपयोग जन शक्ति तथा वाहनों पर नहीं किया जाएगा।

(ii) समुद्रतटीय तथा पारिस्थितिकी पर्यटनः राज्य सरकार ने समुद्र तटीय क्षेत्रों में समेकित पर्यटन विकास हेतु 1000 करोड़ रूपए के अनुदान का अनुरोध किया है। हमने इस प्रयोजनार्थ 250 करोड़ रूपए उपलब्ध कराए हैं।

मणिपुर

(i) सचिवालय परिसरः मणिपुर सचिवालय के चौथी और पांचवी मंजिलों के निर्माण कार्य के लिए राज्य सरकार ने 3.50 करोड़ रूपए की सहायता देने का अनुरोध किया है। हमने, राज्य सरकार द्वारा इस प्रयोजन के लिए मांगी गई राशि प्रदान कर दी है।

(ii) खेल-कूद परिसरः अपने खेल-कूद परिसर की सुविधाओं के उन्नयन के लिए मणिपुर सरकार ने 16.07 करोड़ रूपए की पूंजी व्यय की आवश्यकता सूचित की है। हमने इस प्रयोजन हेतु 15 करोड़ रूपए प्रदान किए है।

(iii) लोकतक झीलःइस झील के जल प्रबंधन में सुधार करने के लिए राज्य सरकार ने 32.88 करोड़ रूपए की सहायता का अनुरोध किया है। हमने इस प्रयोजन हेतु 11.50 करोड़ रूपए प्रदान किए है।

मेघालय

(ii) चिड़िया घरः संकटापन्न प्रजातियों के संरक्षण हेतु चिड़िया घर स्थापित करने के लिए मेघालय राज्य सरकार ने 30 करोड़ रूपए की सहायता का अनुरोध किया है। हमने इस प्रयोजन हेतु राज्य द्वारा मांगी गई राशि प्रदान की है।

(ii) वानस्पतिक उद्यानः वनस्पतियों के संरक्षण के लिए वानस्पतिक उद्यान की स्थापना हेतु राज्य सरकार ने 5 करोड़ रूपए की व्यवस्था करने का अनुरोध किया है। हमने उक्त राशि प्रदान कर दी है।

मिजोरम

(i) बाँस पुष्पणः राज्य ने आसन्न बांस पुष्पण से उत्पन्न होने वाली कृतकों की समस्या का सामना करने के लिए, जिससे कृषि तथा वानिकी में भारी मात्रा में हानि होती है, अपनी योजना लागत को पूरा करने हेतु 566 करोड़ रूपए की सहायता मांगी है। हमने इस प्रयोजन हेतु राज्य को 40 करोड़ रूपए प्रदान किए है ताकि वे योजना प्रारंभ कर सके।

(ii) खेल-कूद परिसरः राज्य सरकार ने ऐजोल में खेल-कूद समूह के निर्माण कार्य के लिए 50 करोड़ रूपए की सहायता देने का अनुरोध किया है। हमने इस प्रयोजन हेतु 25 करोड़ रूपए प्रदान किए है।

नागालैंड

(i) स्वास्थ्य सुविधाएँः राज्य सरकार ने अपनी स्वास्थ्य सुविधाओं के उन्नयन हेतु पूंजी व्यय की एवज में 17.92 करोड़ रूपए की सहायता मांगी है। हमने इस प्रयोजन हेतु 15 करोड़ रूपए की सहायता दी जा रही है।

(ii) असेम्बली सचिवालयः असेम्बली सचिवालय के निर्माण कार्य के लिए 34.60 करोड़ रूपए की पूंजी व्यय

अपेक्षा की एवज में 30 करोड़ रूपए का एक प्रावधान तैयार किया जा रहा है।

उड़ीसा

(i) चिल्का झील में पारिस्थितिकी-पुनर्स्थापन निर्माण कार्य को और मजबूत बनानाः ग्यारहवें वित्त आयोग ने चिल्का लैगून में पारिस्थितिकी-पुनर्स्थापन निर्माण कार्य हेतु समेकन उपायों के बतौर 30 करोड़ रूपए प्रदान किये थे। लैगून के विस्तार को देखते हुए राज्य ने बारहवें वित्त आयोग से पारिस्थितिकी-पुनर्स्थापन निर्माण कार्य के क्षेत्र के समेकन करने और उसे अधिक विस्तार देने तथा लैगून पर निर्भर रहनेवाले मछुआरों की सामाजिक आर्थिक स्थितियों में सुधार लाने के लिए 30 करोड़ रूपए की अतिरिक्त सहायता देने का अनुरोध किया है। हमने, राज्य सरकार द्वारा इस प्रयोजन के लिए मांगी गई राशि प्रदान कर दी है।

(ii) भुवनेश्वर के लिए व्ययन प्रणालीः राज्य सरकार ने वर्ष 2005-10 के दौरान राजधानी भुवनेश्वर में आवश्यक शाखा मल व्ययन प्रणालियों, ट्रंक मल-प्रणालियों और शोधन इकाइयों में व्यापक मल-व्ययन प्रणाली उपलब्ध कराने के लिए 150 करोड़ रूपए का अनुरोध किया है, जो 600 करोड़ रूपए के अनुमानित परियोजना लागत का 25 प्रतिशत है। व्यापक मल व्ययन प्रणाली के अभाव के कारण मुख्य नदी समूहों में प्रदूषण हो रहा है और इसलिए समय रहते कार्रवाई करने की आवश्यकता है। हमने इस प्रयोजन हेतु 140 करोड़ रूपए प्रदान किए हैं।

पंजाब

अवरूद्ध कृषिः पंजाब में कृषि अनेक समस्याओं से घिरी है, जिसमें मिट्टी का स्थिति में सतत ह्रास, जल स्तर में कमी, पारिस्थितिकीय अवक्रमण और फसल पश्च अवसंरचना की अपर्याप्तता आदि शामिल है। राज्य सरकार ने कृषि पर एक सलाहकार-समिति का गठन किया था, जिसने पंजाब में उत्पादकता एवं विकास के लिए कृषि उत्पादन पैटर्न समायोजन कार्यक्रम नामक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है। पंजाब राज्य सरकार ने बारहवें वित्त आयोग से ऐसे कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए पर्याप्त निधियाँ उपलब्ध कराने का अनुरोध किया है, जो चावल, गेहूँ चक्र से किसानों को मुक्त कराने पर केन्द्रित है। हम इस प्रयोजन हेतु 96 करोड़ रूपए की राशि प्रदान कर रहे हैं। इस राशि का प्रयोग कुछ जिलों में प्रायोजिक परियोजना आधार पर उचित कार्यक्रम शुरू करने के लिए किया जा सकता है।

राजस्थान

(i) इंदिरा गांधी नहर परियोजनाः राज्य सरकार ने यह व्यक्त किया है कि इंदिरा गांधी नहर परियोजना निधियों की कमी के कारण अभी भी अधूरी है। इस परियोजना में सूखे की स्थिति को दूर करने, मरूस्थल क्षेत्रों की सिंचाई करने और पेयजल उपलब्ध कराने की दृष्टि से राज्य के मरूस्थल तथा सीमांत जिलों में रबी तथा ब्यास नदियों के अतिरिक्त जल का हस्तान्तरण करना शामिल है। राजस्थान राज्य ने परियोजना के शेष निर्माण कार्यों हेतु 411 करोड़ रूपए की राशि का अनुरोध किया है। चूंकि परियोजना के तेजी से पूरा होने पर मरूस्थल के विस्तार का प्रतिकूल प्रभाव विपरीत जलवायु संबंधी स्थितियों में कमी आएगी, इसलिए हमने इस प्रयोजन हेतु 300 करोड़ रूपए प्रदान किए है।

(ii) सीमा तथा मरूस्थली जिलों में पेयजल कमी को पूरा करनाः राजस्थान देश में अधिक जल कमी वाले राज्यों में से एक है। राज्य सरकार ने आयोग का ध्यान पेयजल की समस्या की ओर दिलाया है, जो मरूस्थली और सीमा जिलों में अत्यधिक बिगड़ गई है। राज्य सरकार ने मौजूदा स्रोतों से जल की वृद्धि करने, वितरण प्रणाली में सुधार लाने, सीमा तथा मरूस्थली जिलों में फ्लूराइड और लवण शोधन संयंत्रों के निर्माण के लिए 295 करोड़ रूपए की राशि की अतिरिक्त निधियों का अनुरोध किया है हमने सीमा तथा मरूस्थली जिलो में मौजूदा स्रोतों से जल की वृद्धि करने और फ्लूराइड और लवण शोधन संयंत्रों के निर्माण के लिए 150 करोड़ रूपए प्रदान किये हैं।

सिक्किम

विमान पत्तन का निर्माणः राज्य सरकार ने इस प्रयोजन के लिए 174 करोड़ रूपए की सहायता मांगी है। ग्यारहवें वित्त आयोग ने 50 करोड़ रूपए प्रदान किये थे। इस समय हम 100 करोड़ रूपए की राशि प्रदान कर रहे हैं।

तमिलनाडु

(i) शहरी क्षेत्रों का विकासः राज्य सरकार ने राज्य के कुछ शहरी क्षेत्रों में निरन्तर बढ़ रही गन्दी बस्तियों की समस्या की ओर आयोग का ध्यान आकर्षित किया है। हमने इस प्रयोजन हेतु 1107 करोड़ रूपए के अनुरोध की एवज में 250 करोड़ रूपए प्रदान किये हैं।

(ii) समुद्र कटाव और तटवर्ती क्षेत्र सुरक्षा निर्माण कार्यः राज्य सरकार ने राज्य के अनेक भागों में समुद्र कटाव की समस्या का समाधान करने के लिए 169 करोड़ रूपए की राशि का अनुरोध किया है। हमने इस प्रयोजन हेतु 50 करोड़ रूपए प्रदान किए है।

त्रिपुरा

(i) राजधानी परिसर का निर्माण : राज्य सरकार ने राजधानी परिसर के निर्माण कार्य के लिए सहायता का अनुरोध किया है, जिसमें शामिल हैः (क) नये एसेम्बली भवन को पूरा करने हेतु 4.40 करोड़

रूपए, (ख) नया सचिवालय भवन हेतु 5.13 करोड़ रूपए, (ग) राज्य उच्च न्यायालय भवनहेतु 8.65 करोड़ रूपए (घ) नए राजधानी परिसर में राज्य अतिथि भवन हेतु : 6.73 करोड़ रुपए और (ङ) उज्ज्यंता पैलस सीसमिक रिट्रोफिटिंग एण्ड रिनोवेशन 4 करोड़ रूपए। हमने इस प्रयोजन हेतु 28 करोड़ रूपए प्रदान किए हैं।

(ii) धलाई जिले के कुलाई में 150 बिस्तर वाले अस्पताल की स्थापनाः राज्य ने 11.99 करोड़ रूपए की राशि का अनुरोध किया है, जिसकी एवज में 11 करोड़ रूपए की राशि प्रदान की जा रही है।

(iii) बिशालगढ़ में एक आदर्श जेल का निर्माणः राज्य ने 11 करोड़ रूपए की राशि का अनुरोध किया है जिसकी एवज में 10 करोड़ रूपए की राशि प्रदान की जा रही है।

उत्तर प्रदेश

(i) 100 वर्षों से भी अधिक पुरानी कलक्टरी भवनों की मरम्मतः उत्तर प्रदेश राज्य ने 29 कलक्टरी भवनों की मरम्मत और पुनर्निर्माण के लिए जो 100 वर्षों से भी अधिक पुरानी है तथा अत्यंत खराब स्थिति में है, 180.25 करोड़ रूपए की राशि का अनुरोध किया है, हमने इस प्रयोजन हेतु 60 करोड़ रूपए प्रदान किए है।

(ii) बुन्देलखंड और पूर्वोत्तर क्षेत्रों के विकास में तेजी लानाः राज्य ने बुन्देलखंड और पूर्वी क्षेत्रों के विकास में तेजी लाने हेतु 5044.56 करोड़ रूपए के अनुदान का अनुरोध किया है, जो अपेक्षतया सामाजिक एवं आर्थिक ढांचागत सुविधाओं के अभाव के कारण पिछड़ा है। राज्य में मौजूद क्षेत्रीय विषमताओं को मिटाने की दृष्टि से, हमने इस प्रयोजन के लिए 700 करोड़ रूपए प्रदान किये है। इस अनुदान का प्रयोग जलापूर्ति और सफाई सुविधाओं में सुधार लाने जीर्ण-शीर्ण बांधों की बहाली करने, सड़कों व पुलों का निर्माण करने, और भूमिगत जल को फिर से प्रयोग में लाने/वर्षा के पानी का संचयन करने से संबंधित योजनाओं के लिए किया जा सकता है।

(iii) शहरी क्षेत्रों का विकासः इलाहाबाद शहर के भौतिक अवसंरचना को सुधारने के लिए 52.47 करोड़ रूपए का अनुरोध किया गया है, जो एक प्रमुख तीर्थ स्थल है, जहां प्रतिवर्ष लाखों तीर्थयात्री आते हैं। यह अनुदान जल आपूर्ति, जल निकास, मल-व्ययन मवेशीगर, बूचड़खाने, पार्कों आदि जैसे विभिन्न विकासात्मक क्रियाकलापों के लिए अपेक्षित है। हमने इस प्रयोजन हेतु 40 करोड़ रूपए प्रदान किए हैं।

उत्तरांचल

(i) *राज्य राजधानी का विकास :* राज्य सरकार ने राज्य की राजधानी के विकास के लिए 398 करोड़ रूपए की राशि का अनुरोध किया है। हमने उत्तरांचल राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराये जाने वाले जमीन पर राज्य स्तर की अवसंरचना के सृजन के लिए 200 करोड़ रूपए प्रदान किये है, जिसमें सचिवालय, एसेम्बली भवन, लोक सेवा आयोग और अन्य भवनों का निर्माण शामिल है।

(ii) पर्यटन को बढ़ावा देनाः राज्य सरकार ने पर्यटन स्थलों के भौतिक अवसंरचना में सुधार लाने, पर्यटन स्थलों में यात्रियों की पहुंच को सुगम बनाने और नये पर्यटन स्थलों का विकास करते हुए पर्यटन को बढ़ावा देने संबंधी कुछ प्रस्ताव प्रस्तुत किये हैं. इन प्रस्तावों की लागत लगभग 325 करोड़ रूपए तक है। हमने इस प्रयोजन हेतु 35 करोड़ रूपए प्रदान किए हैं।

स्वास्थ्य आधारभूत ढांचाः राज्य सरकार ने उत्तरांचल और अन्य राज्यों के निकटवर्ती क्षेत्रों के लोगों के लिए उच्च गुणवत्ता वाला नेत्र देखभाल हेतु देहरादून में 50 बिस्तरवाला विशेष नेत्र अस्पताल की स्थापना के लिए 6 करोड़ रूपए के अनुदान का अनुरोध किया है। राज्य सरकार ने यह व्यक्त किया है कि इस अस्पताल में गरीबों को मुफ्त चिकित्सा दी जाएगी, क्योंकि राज्य में इस समय ऐसी कोई सुविधा उपलब्ध नहीं है। हमने इस प्रयोजन हेतु 5 करोड़ रूपए प्रदान किए हैं।

पश्चिम बंगाल

(i) भूमिगत जल का आर्सेनिकल प्रदूषणः भूमिगत जल का आर्सेनिकल प्रदूषण पश्चिम बंगाल के कतिपय क्षेत्रों को पीड़ित करने वाली एक गंभीर समस्या है। 4,747 निवास स्थानों में लगभग 77.76 लाख की जनसंख्या को आर्सेनिक मुक्त जल प्रदान करने हेतु राज्य सरकार ने अपने लिए लगभग 964 करोड़ रूपए की निधियों की आवश्यकता का अनुमान लगाया है। भूमिगत जल के आर्सेनिकल प्रदूषण के कारण समुदाय के स्वास्थ्य पर पड़ने वाली गंभीर आशंका को देखते हुए हमने इस प्रयोजन हेतु 600 करोड़ रूपए प्रदान किए हैं।

(ii) मालदा और मुर्शिदाबाद जिलों में गंगा-पद्मा नदी के कटाव से संबंधित समस्याएँः राज्य सरकार ने मालदा और मुर्शिदाबाद जिलों में गंगा-पद्मा नदी के गंभीर तट कटाव के कारण उत्पन्न समस्या की ओर ध्यान आकर्षित किया है। समस्या की गंभीरता समय के साथ-साथ बढ़ रही है। इस समस्या के समाधान के लिए ग्यारहवें वित्त आयोग ने 60 करोड़ रूपए प्रदान किये थे। राज्य सरकार ने दो जिलों में महत्वपूर्ण कटाव-रोधी योजनाओं के लिए 500 करोड़ रुपए की राशि का अतिरिक्त अनुदान प्रदान करने का

अनुरोध किया है। हमने इस प्रयोजन हेतु 190 करोड़ रूपए प्रदान किए हैं।

(iii) सुन्दरबन क्षेत्रों का विकासः राज्य सरकार ने सुन्दरबन क्षेत्रों के विकास में तेजी लाने के लिए 150 करोड़ रूपए के अनुदान का अनुरोध किया है। राज्य ने यह भी सूचित किया है कि सुन्दरबन मुख्य रूप से एकतटवर्ती क्षेत्र है, जहां यात्रियों की पहुंच उतनी सुगम नहीं है। इस क्षेत्र की जनसंख्या का अधिकांश भाग कृषि पर निर्भर है। इस क्षेत्र में, कृषि के विकास, तटबंधन को मजबूत बनाने, संचार सुविधाओं के विकास, विद्युत आपूर्ति के प्रावधान आदि पर ध्यान केन्द्रित करने की आवश्यकता है। हमने इस प्रयोजन हेतु 100 करोड़ रूपए प्रदान किए हैं।

10.28 सारणी 10.11 में राज्यों की विशेष जरूरतों के लिए हमारे द्वारा अनुशंसित सहायता अनुदानों का विवरण दिया गया है। चूंकि इन अनुदानों का उपयोग पिछले चार वर्षों में समान रूप से चरणबद्ध तरीके से किया गया, इसलिए इस उपयोग को संकेतक स्वरूप में लिया जाना चाहिए। राज्य सरकार केन्द्र सरकार को अनुदानों के अपेक्षित उपयोग के संबंध में सूचित कर सकती है।

10.29 राज्यों के कुल अंतरणों को दर्शाने वाला एक विवरण सारणी 10.12 में दिया गया है।

❐❐

सारणी 10.11

राज्यों की विशेष आवश्यकताओं के लिए सहायता अनुदान

(करोड़ रुपए)

राज्य	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	2005-10
1	2	3	4	5	6	7
आन्ध्र प्रदेश	0.00	125.00	125.00	125.00	125.00	500.00
अरुणाचल प्रदेश	0.00	2.50	2.50	2.50	2.50	10.00
असम	0.00	32.50	32.50	32.50	32.50	130.00
बिहार	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	400.00
छत्तीसगढ़	0.00	75.00	75.00	75.00	75.00	300.00
गोवा	0.00	2.50	2.50	2.50	2.50	10.00
गुजरात	0.00	50.00	50.00	50.00	50.00	200.00
हरियाणा	0.00	25.00	25.00	25.00	25.00	100.00
हिमाचल प्रदेश	0.00	12.50	12.50	12.50	12.50	50.00
जम्मू और कश्मीर	0.00	25.00	25.00	25.00	25.00	100.00
झारखंड	0.00	82.50	82.50	82.50	82.50	330.00
कर्नाटक	0.00	150.00	150.00	150.00	150.00	600.00
केरल	0.00	125.00	125.00	125.00	125.00	500.00
मध्य प्रदेश	0.00	75.00	75.00	75.00	75.00	300.00
महाराष्ट्र	0.00	75.00	75.00	75.00	75.00	300.00
मणिपुर	0.00	7.50	7.50	7.50	7.50	30.00
मेघालय	0.00	8.75	8.75	8.75	8.75	35.00
मिजोरम	0.00	16.25	16.25	16.25	16.25	65.00
नागालैंड	0.00	11.25	11.25	11.25	11.25	45.00
उड़ीसा	0.00	42.50	42.50	42.50	42.50	170.00
पंजाब	0.00	24.00	24.00	24.00	24.00	96.00
राजस्थान	0.00	112.50	112.50	112.50	112.50	450.00
सिक्किम	0.00	25.00	25.00	25.00	25.00	100.00
तमिलनाडु	0.00	75.00	75.00	75.00	75.00	300.00
त्रिपुरा	0.00	12.25	12.25	12.25	12.25	49.00
उत्तर प्रदेश	0.00	200.00	200.00	200.00	200.00	800.00
उत्तरांचल	0.00	60.00	60.00	60.00	60.00	240.00
पश्चिम बंगाल	0.00	222.50	222.50	222.50	222.50	890.00
कुल राज्य	**0.00**	**1775.00**	**1775.00**	**1775.00**	**1775.00**	**7100.00**

सारणी 10.12

राज्यों को कुल वित्त आयोग अंतरण

(करोड़ रुपए)

राज्य	केन्द्रीय	सहायता अनुदान										कुल
	कर एवं शुल्क में हिस्सा (2005-10)	आयोजना-भिन्न राजस्व घाटा (2005-10)	स्वास्थ्य क्षेत्र (2005-10)	शिक्षा क्षेत्र (2005-10)	सड़क एवं पुलों का रखरखाव (2006-10)	भवनों का रखरखाव (2006-10)	वनों का रखरखाव (2005-10)	ऐतिहासिक विरासत संरक्षण (2006-10)	राज्यों की विशेष आवश्यकताएं (2006-10)	स्थानीय निकाय (2005-10)	आपदा राहत (2005-10)	कुल (कालम 3 से कालम 12)	अंतरण (कालम 2+ कालम 13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
आन्ध्र प्रदेश	45138.68				980.12	242.53	65.00	40.00	500.00	1961.00	1425.93	5214.58	50353.26
अरुणाचल प्रदेश	1767.34	1357.88			44.36	57.42	100.00	5.00	10.00	71.00	112.56	1758.22	3525.56
असम	19850.69	305.67	966.02	1107.37	330.12	230.64	40.00	20.00	130.00	581.00	767.89	4478.71	24329.40
बिहार	67671.04		1819.69	2683.76	309.36	359.61	5.00	40.00	400.00	1766.00	592.37	7975.79	75646.83
छत्तीसगढ़	16285.76				262.40	183.09	85.00	10.00	300.00	703.00	444.45	1987.94	18273.70
गोवा	1589.14				39.48	24.18	3.00	20.00	10.00	30.00	8.73	135.39	1724.53
गुजरात	21900.47				895.20	203.61	20.00	25.00	200.00	1345.00	1019.47	3708.28	25608.75
हरियाणा	6596.46				182.72	151.80	2.00	15.00	100.00	479.00	515.46	1445.98	8042.44
हिमाचल प्रदेश	3203.22	10202.38			261.64	147.60	20.00	10.00	50.00	155.00	400.52	11247.14	14450.36
जम्मू और कश्मीर	7441.71	12353.46			117.68	164.54	30.00	10.00	100.00	319.00	343.89	13438.57	20880.28
झारखंड	20624.02		360.98	651.73	409.04	159.61	30.00	10.00	330.00	580.00	501.46	3032.82	23656.84
कर्नाटक	27361.88				1458.12	205.12	55.00	50.00	600.00	1211.00	475.16	4054.40	31416.28
केरल	16353.21	470.37			642.32	103.50	25.00	25.00	500.00	1134.00	354.32	3254.51	19607.72
मध्य प्रदेश	41180.59		181.64	459.56	586.88	443.02	115.00	20.00	300.00	2024.00	1011.27	5141.37	46321.96
महाराष्ट्र	30663.19				1189.68	223.61	70.00	50.00	300.00	2774.00	923.77	5531.06	36194.25
मणिपुर	2221.44	4391.98			76.96	37.71	30.00	5.00	30.00	55.00	22.11	4648.76	6870.20
मेघालय	2276.61	1796.86			86.40	35.02	30.00	5.00	35.00	58.00	44.88	2091.16	4367.77
मिजोरम	1466.52	2977.79			42.12	23.29	25.00	5.00	65.00	30.00	26.19	3194.39	4660.91
नागालैंड	1613.67	5536.50			120.88	46.17	25.00	5.00	45.00	46.00	15.19	5839.74	7453.41
उड़ीसा	31669.47	488.04	196.37	323.30	1475.08	389.14	75.00	50.00	170.00	907.00	1199.37	5273.30	36942.77
पंजाब	7971.00	3132.67			420.96	151.80	2.00	10.00	96.00	495.00	605.16	4913.59	12884.59
राजस्थान	34418.56			100.00	633.32	213.09	25.00	50.00	450.00	1450.00	1722.50	4643.91	39062.47
सिक्किम	1392.94	188.67			18.64	32.15	8.00	5.00	100.00	14.00	69.74	436.20	1829.14
तमिलनाडु	32552.74				1214.40	242.53	30.00	40.00	300.00	1442.00	866.46	4135.39	36688.13
त्रिपुरा	2626.09	5494.20			61.48	50.11	15.00	5.00	49.00	65.00	51.12	5790.91	8417.00
उत्तर प्रदेश	118209.45		2312.38	4454.07	2403.16	600.28	20.00	50.00	800.00	3445.00	1177.11	15262.00	133471.45
उत्तरांचल	5762.22	5114.68	50.00		324.56	97.60	35.00	5.00	240.00	196.00	369.28	6432.12	12194.34
पश्चिम बंगाल	43303.91	3044.72		391.86	412.92	181.23	15.00	40.00	890.00	1664.00	933.64	7573.37	50877.28
जोड़ राज्य	**613112.02**	**56855.87**	**5887.08**	**10171.65**	**15000.00**	**5000.00**	**1000.00**	**625.00**	**7100.00**	**25000.00**	**16000.00**	**142639.60**	**755751.62**